

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें

01. ई-नीलामी "जैसा है जहां है" और "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर आयोजित किया जा रहा है।
02. ई-नीलामी पोर्टल <https://www.mscecommerce.com/auctionhome/ibpi/index.jsp> के माध्यम से 15/12/2023 को सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक 10 मिनट के ऑटो एक्स्टेंशन के साथ होगी। निरीक्षण की तिथि एवं समय 05/12/2023 सोपहर 12.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक।

03. अधिक विवरण डाउनलोड करने के लिए, प्रक्रिया अनुपालन और नियम एवं शर्तें, कृपया यहां जाएं:
a. <https://www.centralbankofindia.co.in>, b. हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट का पता <https://www.mscecommerce.com/auctionhome/ibpi/index.jsp>.

बोली लगाने वाले <https://www.ibapi.in> या <https://www.mscecommerce.com/auctionhome/ibpi/index.jsp> पर जा सकते हैं, जहां लेखिक बीडियों के साथ बोलीदाताओं के लिए "विशानिर्देश" उपलब्ध हैं। बोलीदाताओं को निम्नलिखित औपचारिकताएं पहले से पूरी करनी होंगी:

चरण 1: बोलीदाताओं/किता पंजीकरण: बोलीदाताओं को अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करके ई-नीलामी प्लेटफॉर्म (ऊपर दिया गया लिंक) पर पंजीकरण करना होगा।

चरण 2: केवाईसी सत्यापन बोलीदाताओं को अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। केवाईसी दस्तावेजों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किया जाएगा (2 कार्य दिवस लग सकते हैं)।

चरण 3: ईएमडी राशि को बोली लगाने वाले ग्लोबल ईएमडी बॉलेट में स्थानांतरित करना: ई-नीलामी प्लेटफॉर्म पर उत्पन्न बालान का उपयोग करके एनईएफटी/ट्रांसफर का उपयोग करके फंड का ऑनलाइन/ऑफ-साइन हस्तांतरण।

चरण 4: बोली प्रक्रिया और नीलामी परिणाम: इच्छुक पंजीकृत बोलीदाता चरण 1, 2 और 3 को पूरा करने के बाद ऑनलाइन ई-नीलामी प्लेटफॉर्म पर बोली लगा सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि चरण 1 से चरण 3 तक बोलीदाताओं को ई-नीलामी तिथि से पहले ही पूरा कर लेना।

04. ई-नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म (<https://www.mscecommerce.com>) हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसका पंजीकृत कार्यालय 225-सी, ए.जे.सी. बॉस रोड, कोलकाता-700020 है। इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट <https://www.mscecommerce.com> पर ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है। यह सेवा प्रदाता पोर्टल पर ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रदर्शन/प्रतिष्ठान भी प्रदान करेगा। बिकी के सामान्य नियमों और शर्तों वाला बिकी नोटिस बैंकों की वेबसाइटों/वेबपेज पोर्टल पर उपलब्ध/प्रकाशित है। <https://www.centralbankofindia.co.in>, <https://ibapi.in> और <http://www.mscecommerce.com>। ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागी ई-नीलामी से संबंधित बिकी नोटिस, ई-नीलामी के नियम और शर्तें, ई-नीलामी के परिचालन भाग पर सहायता मैनुअल की प्रतियां ई-बीकय-आईबीपीआई पोर्टल (<https://www.ibapi.in>) से नि:शुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। इच्छुक बोलीदाता जिन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे www.mscecommerce.com से उनके केंद्रीय हेल्पडेस्क नंबर 033-22901004 पर संपर्क कर सकते हैं।

05. इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को नीलामी के समय से काफी पहले अपने ग्लोबल ईएमडी बॉलेट में ऑनलाइन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि हस्तांतरित करनी होगी। यदि ग्लोबल ईएमडी बॉलेट में ईएमडी राशि उपलब्ध नहीं है, तो सिस्टम बोली लगाने की अनुमति नहीं देगा। पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों का सत्यापन और बॉलेट में ईएमडी का हस्तांतरण नीलामी से पहले ही पूरा किया जाना चाहिए। बोलीदाता एक या सभी संपत्तियों के लिए प्रस्ताव दे सकते हैं। अपने बॉलेट में पर्याप्त ईएमडी होने पर ही इच्छुक बोलीदाता ई-नीलामी की तिथि पर बोली लगा सकेगा। बोली लगाने के समय बोलीदाता के ग्लोबल बॉलेट में पर्याप्त शेष राशि (>=ईएमडी राशि) होनी चाहिए। एक से अधिक संपत्ति के प्रस्तावों के मामले में बोलीदाताओं को प्रत्येक संपत्ति के लिए ईएमडी जमा करनी होगी।

06. जैसा कि ऊपर बताया गया है, बचाना राशि जमा (ईएमडी) राशि का भुगतान बोलीदाताओं के ग्लोबल ईएमडी बॉलेट में एनईएफटी/ट्रांसफर (<https://www.mscecommerce.com>) से बालान जनेट होने के बाद ऑनलाइन किया जाएगा। एनईएफटी ट्रांसफर किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जा सकता है। बैंक/बीडी जैसे किसी अन्य माध्यम से ईएमडी का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोली लगाने वाले को अपने बॉलेट में आवश्यक ईएमडी जमा नहीं करने पर, ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बचाना राशि जमा (ईएमडी) पर कोई व्याज नहीं लगेगा और असफल बोलीदाताओं की ईएमडी बिना व्याज के वापस कर दी जाएगी।

07. संपत्ति प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जावेगी। आरक्षित मूल्य से नीचे उद्घृत की गई बोली अस्वीकार कर दी जाएगी। बोलीदाताओं को सार्वजनिक बिकी नोटिस/बिकी की शर्तों और शर्तों से निर्दिष्ट राशि के कई गुना में अपनी बोलियां बढ़ानी होंगी। अंतिम दस मिनट में बोली प्राप्त होने की स्थिति में 10 मिनट का असीमित विस्तार दिया जाएगा। बोलीदाताओं को लगातार ऊंची बोली लगाने के लिए दस मिनट का समय दिया जाएगा और यदि अंतिम उच्चतम बोली के दस मिनट की समाप्ति के बाद किसी भी बोलीदाता द्वारा कोई ऊंची बोली की पेशकश नहीं की जाती है, तो ई-नीलामी बंद कर दी जाएगी।

08. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर किसी भी प्रकार की बाधा की जानकारी नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले, नीलामी में रखी गई संपत्तियों/संपत्तियों के शीर्षक और बाधा/अधिकार/बकाया/संपत्ति पर प्रभाव के संबंध में अपनी स्वतंत्र पुष्टताएं करनी चाहिए। ई-नीलामी निष्पादन बैंक की किसी भी प्रतिबद्धता या किसी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही इसे माना जाएगा। संपत्ति सभी मौजूदा और भविष्य की बाधाओं के साथ बेची जा रही है, चाहे बैंक को ज्ञात हो या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी/नुरक्षित अधिकारी किसी भी तीसरे पक्ष के दावे/अधिकार/बकाया राशि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।



क्षेत्रीय कार्यालय औरंगाबाद

REGIONAL OFFICE, AURANGABAD

09. यह बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी कि वे बोली जमा करने से पहले संपत्ति और विनिर्देश के बारे में निरीक्षण करें और संतुष्ट हों। नीलामी में रखी गई संपत्तियों के निरीक्षण की अनुमति इच्छुक बोलीदाताओं को प्रत्येक संपत्ति विवरण के सामने उल्लिखित साइटों पर दी जाएगी।

10. ऑनलाइन बोली के दौरान, बोलीदाता 'बोली बुद्धि राशि' (बिक्री नोटिस में उल्लिखित) या उसके गुणक के अनुसार अपनी बोली राशि में सुधार कर सकता है और यदि बोली समापन समय के अंतिम 10 मिनट के दौरान लगाई जाती है ई-नीलामी, समापन समय स्वचालित रूप से 10 मिनट के लिए बढ़ जाएगा (प्रत्येक बार ई-नीलामी प्रक्रिया बंद होने तक), अन्यथा, यह स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा। ई-नीलामी प्रक्रिया के समापन पर जो बोलीदाता उच्चतम बोली राशि (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) जमा करेगा, उसे आवश्यक सत्यापन के बाद प्राधिकृत अधिकारी/पुरवित लेनदार द्वारा सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा।

11. सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य का 25% जमा करना होगा, जिसमें पहले से जमा की गई ईएमटी राशि को समावेशित कर उसी दिन या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के बाद अगले कार्य दिवस से पहले जमा करना होगा और बिक्री का शेष 75% मूल्य बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जैसा कि लिखित रूप में सहमति हुई है और पूरी तरह से प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर नीचे उल्लिखित खाता संख्या में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से जमा करना होगा।

खाता का नाम	खाता संख्या	खाते का नाम	आई०एफ०एस० कोड
क्रांति चौक शाखा	3527032761	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय	CBIN0280679

सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक के मामले में, बोलीदाता द्वारा पहले से जमा की गई राशि जप्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से नीलामी में रखा जाएगा और चूककर्ता उधारकर्ता के पास संपत्ति/राशि के संबंध में कोई रावा/अधिकार नहीं होगा।

12. केता को सामू स्टॉप शुल्क/अतिरिक्त स्टॉप शुल्क/हस्तांतरण शुल्क, शुल्क आदि और किसी के भी बकाया सभी वैधानिक/वैर-वैधानिक बकाया, कर, दंड, मूल्यांकन शुल्क, शुल्क आदि वहन करना होगा।

13. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई-नीलामी को स्थगित/स्थगित/रद्द करने का पूर्ण अधिकार है।

14. संपूर्ण बिक्री प्रतिफल प्राप्त होने पर, प्राधिकृत अधिकारी नियमों के अनुसार बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा। केता को स्टॉप शुल्क का वहन करना होगा, जिसमें बिक्री प्रमाण पत्र, पंजीकरण शुल्क, सरकार/किसी भी प्राधिकरण को देय सभी वैधानिक बकाया, कर, जीएसटी और दंड और संपत्तियों से संबंधित मौजूदा और भविष्य दोनों शामिल हैं। बिक्री प्रमाणपत्र में बोली में उल्लिखित नामों के अलावा अन्य नामों को शामिल करने/प्रतिस्थापन करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। बिक्री प्रमाणपत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम पर जारी किया जाएगा।

15. प्राधिकृत अधिकारी/बैंक को किसी भी बोली को स्वीकार करने या अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित करने/स्थगित करने/रद्द करने/बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कोई कारण बताए बिक्री के किसी भी नियम और शर्तों को संशोधित करने और यदि पहले बोली लगाने वाला प्रदर्शन करने में विफल रहता है तो प्राधिकृत अधिकारी अगले उच्चतम बोली लगाने वाले को बुलाने सहित नियम और शर्तों को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार है।

16. संपत्ति "जहाँ है जैसी है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ है" के आधार पर बेची जा रही है और इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी विवेकपूर्ण स्वतंत्र प्रवृत्ति करनी चाहिए और संबंधित रजिस्ट्रार/एसआरओ/राजस्व रिपोर्ट/को सत्यापित करना चाहिए। अन्य वैधानिक प्राधिकारी बैंक के प्रभार के अलावा बिक्री कर, उत्पाद शुल्क/जीएसटी/अन्य कर जैसे किसी भी प्राधिकारी के दायित्वों और रावा/अधिकारों/बकाया/प्रभारों के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने, शीर्षक प्रकृति, विवरण, सीमा, गुणवत्ता, मात्रा, अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति पर स्थिति, भार, ग्रहाधिकार, शुल्क, वैधानिक बकाया आदि। ई-नीलामी विभाजन बैंक की किसी प्रतिबद्धता या किसी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही इसे माना जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी/पुरवित क्षणदाता ऊपर उल्लिखित (यदि कोई हो) के अलावा किसी भी तीसरे पक्ष के दावे/अधिकार/बकाया के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। ऑनलाइन बोली जमा करने के बाद बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकृति का कोई भी दावा, संपत्ति पर शुल्क/बाधाएं आदि पर विचार नहीं किया जाएगा।

17. बैंक बिक्री के लिए प्रस्तावित संपत्ति के संबंध में या बकाया जल/सेवा शुल्क, स्थानांतरण शुल्क, बिजली बकाया, नगर निगम को बकाया जैसे किसी भी बकाया के लिए कोई अनुमति/लाइसेंस, एनओसी इत्यादि प्राप्त करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। स्थानीय प्राधिकारी/सहकारी हाउसिंग सोसायटी या उस संपत्ति की बिक्री के संबंध में और/या कोई अन्य बकाया, कर, लेवी, शुल्क, हस्तांतरण शुल्क यदि कोई हो। सफल बोलीदाता को संपत्ति की खरीद के संबंध में आवश्यक प्रावधानों का पालन करना होगा और लागू दरों के अनुसार अधिकारियों को कर का भुगतान करना होगा।

18. बोलीदाताओं को अपनी बोलियाँ लगाने और ई-नीलामी में भाग लेने से पहले एमएसटीसी के वेब पोर्टल <https://www.mscecommerce.com> और <https://ibapi.in> और बैंक के वेब पोर्टल www.centralbankofindia.co.in पर उपलब्ध ई-नीलामी के विस्तृत नियम और शर्तों को पढ़ने की सलाह दी जाती है।

19. बोलीदाताओं के हित में अंतिम क्षण में बोली लगाने से बचना चाहिए क्योंकि न तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और न ही सेवा प्रदाता ऐसी आकस्मिक स्थिति को रोकने के लिए किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता/विजयी विफलता आदि) के लिए जिम्मेदार होगा। स्थितियों में, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्थाएं/विकल्प जैसे बिजली आपूर्ति बैंक-अप आदि करें, ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।



क्षेत्रीय कार्यालय औरंगाबाद

REGIONAL OFFICE, AURANGABAD

20. बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है।
21. इच्छुक क्रेता अपने खर्च पर ऊपर उल्लिखित तिथि और समय पर संपत्ति का निरीक्षण कर सकता है। शीर्षक दस्तावेज़ और बैंक के पास उपलब्ध अन्य दस्तावेज़ों के निरीक्षण के लिए, इच्छुक बोलीदाता 05/12/2023 को कार्यालय समय के दौरान सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से संपर्क कर सकते हैं।
22. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें - सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, औरंगाबाद +91-7262081444.

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत वैधानिक 30 दिनों की बिक्री सूचना

उधारकर्ताओं/गारंटर्स/बंधककर्ताओं को सुरक्षित लेनदारों की बकाया राशि की वसूली के लिए अचल सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री के लिए सूचित किया जाता है।

दिनांक: 06/11/2023
औरंगाबाद


प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
